

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 628/XXIV(4)/2018-09(58)/2017
देहरादून: दिनांक 16 अप्रैल, 2018

कार्यालय आदेश

रिट याचिका संख्या-257 (एस0बी0)/2017 डॉ0 अखिलेश कुमार शुक्ला बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के प्राविधानों के आलोक में निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार प्रवक्ता को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थल से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम-5 में उल्लिखित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम/पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल
1	2	3	4	5
1	डॉ0 अखिलेश कुमार शुक्ला, प्रवक्ता	समाजशास्त्र	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़

2- सम्बन्धित प्रवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपने नवीन तैनाती स्थान पर अनिवार्य रूप से योगदान सुनिश्चित कर सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अध्यक्ष मुख्य सचिव

संख्या- 628 (1)/XXIV(4)/2018-09(58)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. सम्बन्धित कार्मिक/प्रवक्ता द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
11/11
(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या-629/XXIV(4)/2018-09(58)/2017
देहरादून: दिनांक 16 अप्रैल, 2018

कार्यालय आदेश

रिट याचिका संख्या-257 (एस0बी0)/2017 डॉ0 अखिलेश कुमार शुक्ला बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के प्राविधानों के आलोक में निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार प्रवक्ता को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थल से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम-5 में उल्लिखित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम/पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल
1	2	3	4	5
1	डॉ0 शालिनी शुक्ला, प्रवक्ता	संस्कृत	राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार भावर	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़

2- सम्बन्धित प्रवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपने नवीन तैनाती स्थान पर अनिवार्य रूप से योगदान सुनिश्चित कर सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डॉ0 रणबीर सिंह)
उपरि मुख्य सचिव

संख्या-629 (1)/XXIV(4)/2018-09(58)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. सम्बन्धित कार्मिक/प्रवक्ता द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एम0एम0 सेमवाल) 1
संयुक्त सचिव